तीन मंजिला अवैध निर्माण सीज

जयपुर। नगर निगम के सिविल लाइंस जोन की टीम ने मंगलवार को विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक अवैध निर्माण को सीज किया। निगम अधिकारियों ने बताया कि भूखंड पर नियमों के विपरीत बेसमेंट सहित तीन मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था। सिविल लाइंस जोन के उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने बताया कि विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर-87 के सामने स्थित गोवर्धन कॉलोनी के भूखंड संख्या एफ-6 निर्माण निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित भूखंड मालिक को पहले भी नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी रखा गया। बार-बार चेतावनी और नोटिस की अवहेलना किए जाने के बाद निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए भवन को सीज करने की कार्रवाई की।

बीमा कंपनी व बैंक पर 11 लाख रु. हर्जाना लगाया

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि लेने के बाद भी क्लेम दावों का निस्तारण नहीं करने को गंभीर लापरवाही व सेवादोष करार दिया है। वहीं आयोग ने इस लापरवाही पर एचडीएफसी लाइफ स्टैंडर्ड इंश्योरेंस कंपनी पर दस लाख रुपए और दी जयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपए हर्जाना लगाते हुए यह राशि राज्य उपभोक्ता आयोग के राजकोष में जमा करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही विपक्षी बीमा कंपनी को निर्देश दिया है।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 24 लाख रुपए ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश

कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर लौटे डॉक्टर समेत दो आरोपी गिरफ्तार

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर की श्याम नगर थाना पुलिस और जिला विशेष टीम (डीएसटी) दक्षिण ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार

- **आरोपियों के कब्जे से 32 डेबिट कार्ड और बैंकिंग दस्तावेज बरामद**

आरोपियों में कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर चुका गणेश चौधरी और उसके सहयोगी दुष्यंत जांगिड़ शामिल हैं। गिरोह महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 24 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में वांछित था।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गणेश चौधरी (29) निवासी कोतवाली बाड़मेर हाल वैशाली उत्सव अपार्टमेंट, करणी विहार तथा दुष्यंत जांगिड़ (32) निवासी हसनपुरा सदर हैं। गणेश गिरोह का प्रमुख सदस्य है, जबकि दुष्यंत साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने का काम करता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 32 डेबिट कार्ड, 12 चेकबुक, 9 पासबुक, 8 सिम कार्ड, 2 रबर स्टाम्प, 5 मोबाइल फोन तथा 1.27 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं।

महिला डॉक्टर से 24 लाख की ठगी

सहायक पुलिस आयुक्त (सोडाला) सुनील प्रसाद शर्मा के अनुसार श्याम नगर थाने में 22 दिसंबर 2025 को डॉ. सुरेखा लोबा ने मामला दर्ज कराया था। उन्होंने शिकायत में बताया कि 15 दिसंबर को व्हाट्सएप कॉल और संदेशों के जरिए

उन्हें डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया गया। खुद को सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर ठगों ने उन्हें और उनके परिवार को गिरफ्तार करने की धमकी दी तथा भयभीत कर 24 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करवा लिए।

विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के खातों का करते थे इस्तेमाल

जांच में सामने आया कि आरोपी विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के बैंक खातों का दुरुपयोग करते थे। इन खातों में ठगी की रकम जमा कर क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी (यूएस डॉलर टेथर) खरीदी जाती थी, जिससे रकम का स्त्रोत छिपाया जा सके। बाद में यूएसडीटी को ऑनलाइन बेचकर राशि अन्य खातों में राशि स्थानांतरित कर दी जाती थी। पुलिस के अनुसार गिरोह के खिलाफ देशभर में साइबर पोर्टल पर 100 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। आरोपियों द्वारा विभिन्न राज्यों में बैंक खाते किराए पर लेकर उनमें ठगी की रकम जमा कराई जाती थी।

कजाकिस्तान से पढ़ाई कर लौटे आरोपी

डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि गणेश चौधरी वर्ष 2021 में कजाकिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटा था। उसने सिरोही के सरकारी अस्पताल में इंटर्नशिप भी की। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह का फरार मास्टरमाइंड सुनील विश्नोई उर्फ कार्तिक भी कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर चुका है।

फर्जी दस्तावेजों से खुलवाए खाते

पुलिस के अनुसार मास्टरमाइंड सुनील विश्नोई फर्जी नाम-पते से आधार कार्ड बनवाकर विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाता था। किरायानामों के आधार पर पते बदलकर खोले गए इन खातों का उपयोग साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने में किया जाता था।

तकनीकी जांच से मिली सफलता

सहायक पुलिस आयुक्त (सोडाला) सुनील प्रसाद शर्मा के सुपरविजन में श्याम नगर थानाधिकारी दलबीर सिंह और डीएसटी प्रभारी विशम्भर दयाल के नेतृत्व में गठित टीम ने बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की तकनीकी जांच की। जांच के दौरान दिल्ली के करोल बाग स्थित बैंक खातों की कड़ियां मिलने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।पुलिस फरार मास्टरमाइंड सुनील विश्नोई समेत गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। मामले में साइबर अपराध, धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में जांच जारी है।

राजस्थान में 3 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 426 करोड़ रुपये का ऋण वितरण

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ''पीएम स्वनिधि योजना'' बनी आत्मनिर्भरता की नई पहचान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। यह योजना लाखों रेहड़ी-पटरी एवं फुटपाथ विक्रेताओं को आर्थिक संबल तो प्रदान कर ही रही है, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी उपलब्ध करा रही है।

- **6 करोड़ से अधिक की ब्याज सब्सिडी और 10 करोड़ से अधिक कैशबैक से किया गया लाभान्वित**
- **लाखों परिवारों के जीवन में आया सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक बदलाव**

प्रदेश में योजना के तहत पात्र 3 लाख 62 हजार 565 आवेदकों में से अब तक 3 लाख 6 हजार 255 लाभार्थियों को 439 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इनमें से 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को 428 करोड़ 93 लाख रुपये से अधिक की राशि का ऋण वितरण भी किया जा चुका है। यह उपलब्धि प्रदेश की डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता और प्रभावी कार्यान्वयन का सशक्त प्रमाण है।

उल्लेखनीय है कि अब तक प्रदेश के 1.64 लाख से अधिक स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने समय पर अपना ऋण चुकाकर आर्थिक अनुशासन और आत्मसम्मान का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीएम स्वनिधि योजना समय पर और शीघ्र ऋण चुकाने को प्रोत्साहित करती है। इसके तहत लाभार्थियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। राजस्थान में समय पर ऋण पुनर्भुगतान करने वाले लाभार्थियों के खातों में अब तक 6.57 करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज सब्सिडी सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके अलावा, अपने ऋण को समय पर चुकता करने वाले रेहड़ी पटरी लगाने वाले विक्रेता अगले चरण में अधिक राशि के ऋण के लिए पात्र हो जाते हैं।

पीएम स्वनिधि योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर शहर में 60 हजार से अधिक तो वहीं, जोधपुर शहर में 18 हजार से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। इतना ही नहीं बीकानेर शहर में 14 हजार 68 , अजमेर शहर में 13 हजार 165, उदयपुर शहर में 10 हजार 665 सहित भीलवाड़ा, अलवर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, हनुमानगढ़, ब्यावर और सवाईमाधोपुर शहरों के अलावा बाड़मेर, मकराना, दौसा, जैसलमेर, बालोतरा, सरदारशहर, राजसमंद, झालावाड़ा, सूरतगढ़, करौली सरीखे छोटे निकायों में भी हजारों की संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना के लाभांवित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अब तक 84 फीसदी से अधिक आवेदकों को योजना के तहत ऋण स्वीकृत किया जा चुका है वहीं, शेष आवेदकों को ऋण वितरण के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

खाद्य सचिव अंबरीश कुमार के जमानती वारंट जारी

जयपुर। राज्य सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सेवा संबंधी मामले में दिए अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर खाद्य सचिव अंबरीश कुमार को जमानती वारंट से तलब किया है। इसके साथ ही अधिकरण ने उन्हें 12 जून को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अधिकरण ने यह आदेश सरोज मीणा के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

पीठासीन अधिकारी पूरम दरगन और प्रकाश चन्द्र शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि गत 4 जून को खाद्य सचिव अंबरीश कुमार को अधिकरण के समक्ष पेश होने के आदेश दिए गए थे। इस संबंध में जारी समन की तामील भी अंबरीश कुमार पर हो गई है। इसके बावजूद वे अधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुए और ना ही उनकी ओर से अधिकरण में गैरहाजिर होने के संबंध में कोई कारण बताया गया।

शराब ठेके पर वाहनों में आग लगाने वाला दबोचा

जयपुर। जयपुर पुलिस की कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने महेश नगर क्षेत्र में शराब ठेके पर तोड़फोड़, वाहनों में आगजनी और उपद्रव की वारदात में वांछित 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेंद्र कुमार वैष्णव के रूप में हुई है, जो लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। पुलिस उपायुक्त संजीव नैन ने बताया कि 30 मार्च 2026 को एक महिला परिवादिया ने महेश नगर थाने में मामला दर्ज कराया था।

सार-समाचार

श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा शुरू

जयपुर। जनमानस में आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और संस्कारित जीवन के प्रति जागरूकता का प्रसार करने के उद्देश्य से किरण पथ मानसरोवर स्थित वेदना निवारण केन्द्र पर मंगलवार को कलश यात्रा के साथ श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ हुआ। वरुण देवता के पूजन साथ कलश यात्रा स्वर्ण पथ स्थित मातेश्वरी मंदिर से रवाना हुई। चालो चालो सुहागन नार कलश सिर धारण करो गीत की स्वर लहरियों के बीच निकली कलश यात्रा में पीली साड़ी पहनी महिलाएं सिर पर मंगल कलश लेकर चल रहीं थी। वहीं पुरुष ओम अंकित पीला ध्वज थामे हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का जयघोष करते चल रहे थे। मध्यम मार्ग होते हुए कलश यात्रा वेदना निवारण केन्द्र पहुंची। यहां कलशों की आरती उतारी गई। गायत्री परिवार राजस्थान के मुख्य ट्रस्टी ओमप्रकाश अग्रवाल, ट्रस्टी सतीश भाटी, गायत्री शक्तिपीठ कालवाड़ के मुख्य ट्रस्टी धर्म सिंह राजावत, वेदना निवारण केन्द्र के व्यवस्थापक आर डी गुप्ता, केदार शर्मा, ललिता शर्मा एवं अन्य ने वेदमाता गायत्री और गुरु सत्ता के चित्र के समक्ष पूजन कर प्रज्ञा पुराण का शुभारंभ किया। शांतिकुंज हरिद्वार के पुष्कर जोन की टोली के साथ गोपाल स्वामी ने प्रज्ञा पुराण का श्रवण कराया। व्यासपीठ से गोपाल स्वामी ने कहा कि भारतीय इतिहास-पुराणों में मनुष्य के सम्मुख आने वाली अगणित समस्याओं के समाधान विद्यमान हैं। सभी 18 पुराणों का सार प्रज्ञा पुराण में है। इसकी रचना युग ऋषि पं. श्रीराम शर्मा ने युग की समस्याओं के निराकरण के लिए किया।

एक प्लॉट का दो बार सौदा कर 60 लाख रुपए ठगने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार

जयपुर। महेश नगर पुलिस ने वर्ष 2025 से फरार चल रहे 5-5 हजार रुपए के दो इनामी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक ही प्लॉट का दो अलग-अलग व्यक्तियों से इकरारनामा कर करीब 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। वारदात के बाद दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पहचान छिपाकर रह रहे थे। पुलिस उपायुक्त (जयपुर दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महावीर स्वामी कॉलोनी, करतारपुरा निवासी महेश सिंह और उसकी पत्नी रेखा के रूप में हुई है। आरोपियों ने परिवादी घनश्याम सिंह जांगिड़ से अपने प्लॉट का सौदा कर 20 लाख रुपए प्राप्त किए। इसके बाद उसी प्लॉट का दूसरा इकारारनामा परिवादी राजू वर्मा के साथ कर उससे 39.51 लाख रुपए ले लिए। इस तरह दोनों ने करीब 60 लाख रुपए की ठगी कर मोबाइल बंद कर लिए और फरार हो गए। पुलिस के अनुसार महेश नगर थाने में दर्ज प्रकरण में दोनों आरोपी वांछित चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। ठगी के बाद दोनों उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की मदद से उनकी लोकेशन का पता लगाया और फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस आरोपियों से अन्य संभावित धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में एएसआई धर्मपाल सिंह, हेड कांस्टेबल भीम सिंह, साइबर सेल के हेड कांस्टेबल लोकेश कुमार, कांस्टेबल अंकित कुमार, महिला कांस्टेबल सुनीता तथा कांस्टेबल जितेंद्र शामिल रहे।

28 साल बाद इनामी डकैत गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने 28 वर्ष पुराने डकैती के मामले में फरार चल रहे एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बगरू थाना पुलिस ने राज्यव्यापी विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से शातिर आरोपी भीष्म उर्फ भीम उर्फ भूपेंद्र (49) को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 1998 से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान बदलकर रह रहा था। पुलिस उपायुक्त (जयपुर पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी मूल रूप से गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र का निवासी है। उसने वर्ष 1998 में अपने साथियों के साथ मिलकर बगरू स्थित एक चाय एवं सिगरेट गोदाम में हथियारबंद डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद से वह लगातार फरार था। उसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर तत्कालीन जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने वर्ष 2003 में उस पर एक हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।

राज्यसभा चुनाव 2026 : सभी 9 नामांकन पत्र सही पाए गए

जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के तहत दाखिल किए गए सभी नौ नामांकन पत्रों की मंगलवार को विधानसभा परिसर में जांच की गई। जांच के दौरान सभी नामांकन पत्र वैध और सही पाए गए। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज डांगी द्वारा दाखिल तीन नामांकन पत्रों तथा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अलका सिंह के दो और भाजपा प्रत्याशी डॉ. सतीश पूनिया के चार नामांकन पत्रों की विस्तार से जांच की गई। यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों, प्रस्तावकों और निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुई।

31 साल पहले हटाए गए सैन्य कर्मी को पेंशन देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 31 साल पहले सेवा से हटाए गए सैन्यकर्मी को दिव्यांग पेंशन देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने माना कि कि याचिकाकर्ता सेना में भर्ती होते समय स्वस्थ था और सेवा के दौरान वह बीमार हुआ। इसलिए माना जाएगा की बीमारी सैन्य सेवा के दौरान उत्पन्न हुई। ऐसे में मेडिकल बोर्ड नहीं बनाना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। अब मेडिकल बोर्ड बनाना संभव नहीं है, ऐसे में याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने की तारीख से तीन साल पहले से बकाया पेंशन दी जाए। जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश ओमप्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता असलम खान ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जून, 1984 में सेना में सिपाही के तौर पर नियुक्त हुआ था। करीब 11 साल की सेवा के बाद जून, 1995 को उसे अनडिजायरेबल सोल्जर मानते हुए सेवा से हटा दिया था। जिसे याचिकाकर्ता ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण की ओर से अगस्त, 2022 में याचिका को देरी के आधार पर खारिज करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि सेवा के दौरान वह गंभीर बीमार हो गया था।

ऐसे में उसकी वास्तविक स्थिति को छिपाया गया और उसे सेना से हटाते हुए पेंशन से वंचित कर दिया गया। जबकि सेना ने इसके लिए मेडिकल बोर्ड भी नहीं बनाया। इसके अलावा दस साल की सेवा पूरी होने पर वह दिव्यांग पेंशन का अधिकारी है। इसका विरोध करते हुए सेना की ओर से कहा गया कि उसके रिकॉर्ड में पांच नकारात्मक एंट्री होने के चलते उसे पेंशन से वंचित किया गया है और याचिका भी देरी से पेश हुई है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को पेंशन के पात्र मानते हुए उसे पेंशन जारी करने को कहा है।

जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी का प्रार्थना पत्र खारिज

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। जोशी ने प्रार्थना पत्र में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा करने के गुहार की थी। पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार दडिया ने अपने आदेश में कहा कि महेश जोशी को हिरासत में लेते समय उनके परिजन मौजूद थे। इसके बाद जोशी को गिरफ्तार करते समय फोन के जरिए उनके बेटे को सूचना दी गई थी। इसके अलावा आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड मांगते समय यह प्रार्थना पत्र स्वयं आरोपी के अधिवक्ता ने पेश किया था। ऐसे में आरोपी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

- **जोशी ने प्रार्थना पत्र में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा करने के गुहार की थी**

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कानून के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार और रिमांड पर लेते समय इसकी लिखित जानकारी और आधार आरोपी के परिजनों या उसके वकील को देना बाध्यकारी है। यह प्रक्रिया नहीं अपनाने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाती है। प्रार्थी के मामले में भी इस प्रावधान की पालना नहीं हुई है। ऐसे में अवैध गिरफ्तारी होने के कारण उसे रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने कहा कि गत 6 मई को एसीबी ने एक हुकमनामा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र को देकर निर्देश दिया गया कि महेश जोशी को डिटेन किया जाए। इसमें हुकमनामा में गिरफ्तारी के आधार और आरोप लिखे गए थे। इसकी पालना में 7 मई को जोशी को घर से हिरासत में लिया गया। इस दौरान उनके परिजन मौके पर पर मौजूद थे। इसके बाद एसीबी मुख्यालय पहुंच कर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसकी सूचना आरोपी के बेटे के मोबाइल पर दी गई। इसके बाद गिरफ्तारी की सूचना पुनः उनके बेटे को दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से यह भी बताया गया कि आरोपी को अदालत में पेश करने के लिए रवाना होते समय भी इसकी सूचना परिजनों को दी गई और अदालत पहुंचने के बाद भी फिर से उनके बेटे को सूचना दी गई। गिरफ्तारी की फर्द में गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से लिखे गए थे।

जिस पर उच्च शिक्षित और कैबिनेट मंत्री रहे महेश जोशी के हस्ताक्षर हैं। ऐसे में इस आधार पर उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के सुनने के बाद अदालत ने जोशी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि समान आधार पर जोशी के बेटे रोहित जोशी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है।

आरआरटीएस का विस्तार अब राजस्थान में भी, प्रथम चरण में जुड़ेगा बहरोड़

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सतत प्रयासों से दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-एसएनबी-बहरोड़ आरआरटीएस कॉरिडोर (रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम-आरआरटीएस) के राजस्थान खण्ड के क्रियान्वयन को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। प्रथम चरण में इसे बहरोड़ तक बनाया जा रहा है तथा इसी के आधार पर परियोजना लागत एवं वित्तीय ढांचा तैयार करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

इस परियोजना के संबंध में हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य लागत साझेदारी पर दोनों राज्यों ने

- **प्रस्तावित आरआरटीएस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 130 किलोमीटर होगी तथा इसमें कुल 19 स्टेशन विकसित किए जाएंगे।**

सहमति दे दी है। अब बावल से राजस्थान सीमा तक के खण्ड की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत भाग हरियाणा सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान सीमा से बहरोड़ तक के खण्ड की सम्पूर्ण लागत राजस्थान सरकार एवं उसकी संबद्ध संस्थाओं द्वारा वहन की जाएगी।

प्रस्तावित आरआरटीएस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 130 किलोमीटर होगी तथा इसमें कुल 19 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। राजस्थान में इस परियोजना के अंतर्गत तीन स्टेशन शाहजहाँपुर, नीमराना तथा बहरोड में स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। यह परियोजना राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र के लिये लाईफ लाईन साबित होगी।

नंदपुरी में दूसरे दिन भी हटाए एक दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण

80 फीट चौड़ी सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई जारी

जयपुर। नंदपुरी में सड़क चौड़ी करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की मंगलवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। यह कार्रवाई नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क की चौड़ाई 80 फीट करने के लिए की जा रही है। क्षेत्र में धारा 163 लागू है। मंगलवार को जेडीए की प्रवर्तन शाखा, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में एक दर्जन से अधिक अवैध निर्माण हटाए गए। जेडीए दस्ते ने सबसे पहले सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणों को चिह्नित किया, इसके बाद उन्हें हटाना शुरू किया। इस दौरान सड़क क्षेत्र में बने एक धार्मिक स्थल की दीवार और चबूतरे को हटाया गया। अन्य स्थानों पर पूर्व में हटाए गए निर्माणों और धार्मिक स्थलों के मलबे को भी साफ कराया गया। इससे पहले सोमवार को 5 धार्मिक स्थल समेत 128 अवैध निर्माण हटाए गए थे। जेडीए की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, स्पेशल टास्क फोर्स के जवान और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए कार्रवाई क्षेत्र में आम लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई। किसी को भी कार्रवाई स्थल के आसपास रुकने की अनुमति नहीं दी गई। जेडीए अधिकारियों ने बताया कि सड़क सीमा में आने वाले अवैध निर्माणों को हटाकर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और मास्टर प्लान के अनुरूप विकास कार्य को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।

90वीं वर्षगांठ पर पद्मभूषण डॉ. डी.आर.मेहता का सम्मान

जयपुर। पद्मभूषण और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता की 90वीं वर्षगांठ पर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट एस.एस. भण्डारी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में पूर्व लोकायुक्त एस.एस. कोठारी, पूर्व मुख्य सचिव सी.एस. राजन, उद्योगपति किशोर रुंगटा, बसन्त खेतान, सरोज खेमका, जुगल किशोर वैद, कमल वैद आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। वक्ताओं ने डी.आर. मेहता की 90वीं सालगिरह पर उनके पिछले 50 वर्षों से अधिक किए गए सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की और विकलांगों के पुर्नवास के लिए किए गए उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब तक देश और विदेशों के 25 लाख लोगों का पुर्नवास उनके द्वारा की गई सेवाओं का ही सुपरिणाम है। उन्होंने कहा कि आज जयपुर फुट के देश में जहाँ 35 केन्द्र चल रहे हैं वहीं 50 देशों में जयपुर फुट के पदचिन्ह देखे जा सकते हैं। प्रति वर्ष देशभर में 35 हजार से अधिक दिव्यांगों का पुर्नवास किया जाता है। एस.एस. भण्डारी ने कहा कि डी.आर. मेहता ने विश्व भर में जयपुर फुट के कारण भारत की पहचान बनाई है और एशिया, अफ्रीका तथा वेस्टइण्डीज के देशों में 40 हजार से अधिक विकलांग आज जयपुर फुट के कारण चलने-फिरने लगे हैं। इसके अलावा तीन अन्तर्राष्ट्रीय स्थाई केन्द्र भी संचालित हैं।

मुख्यमंत्री आज मोतीडूंगरी गणेश मंदिर की महाआरती में शामिल होंगे

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे विशेष अभियान '12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के' के अंतर्गत बुधवार को प्रदेशभर के मंदिरों में महाआरती का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार सुबह 8 बजे जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आयोजित महाआरती में शामिल होकर पूजा-अर्चना करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों और नगरों के मंदिरों में भी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सामूहिक महाआरती का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 जून से 21 जून तक चलने वाले विशेष जनसंपर्क एवं जनजागरूकता अभियान का हिस्सा है। अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल में हुए।